NO : CBSE/3330501/SS-91127-2324/2023-24 Dated: 17/06/2023

The Manager,
ST. XAVIER'S ENGLISH MEDIUM SCHOOL PATHALGAON
NEAR TILDEGA ROAD, PATHALGAON, DISTRICT JASHPUR
CHATTISGARH ,JASHPUR , 496118
(M: 9753816838)

SUBJECT: -FRESH AFFILIATION UPTO SENIOR SECONDARY LEVEL SWITCH OVER FROM OTHER BOARDS (ONLY SCHOOLS WHO ARE AL-regarding .

Ref : Application No.: - SS-91127-2324 Dated:22/01/2023

Sir/Madam,

This is with reference to school application on the subject cited above. I am directed to convey approval of the Board for Fresh affiliation upto Senior Secondary level Switch over from other Boards (only schools who are al as per details given below :

Affiliation No used as User ID for both OASIS and LOC/Registration System	**3330501**
School No	16212
Password for OASIS and LOC/Registration Systems is same as that used for Affiliation Application.	
Affiliated for	Senior Secondary School Examination Class 1 to 12
Category	Switch Over from Other Boards
Period of affiliation	01.04.2023 to 31.03.2028
Year and Month From which admission can be taken in Class-IX/XI	1 April,2023
Year and Month in which first batch of Class-X/XII will appear in board examinations	1 April,2025

Sl. No.	The school is directed to ensure that :
1	The total number of sections of the school shall be restricted to 36, of which not more than 1/3rd sections may be used for senior secondary classes. Any further increase of section shall require prior approval of the Board, subject to compliance with affiliation bye laws and availability of rooms of 500 sq. ft. dimension.
2	School has not installed the handles for support in toilets meant for CWSN students. The school is required to implement the provisions for CWSN students and separate toilets for CWSN students (for boys and girls) on every floor with proper possible infrastructural facilities in accordance with the provisions laid down in RPwD Act 2016 and submit videographic proof of toilets within 3 months on the SARAS portal.
3	The name of the lessor is not available in the land certificate uploaded by the school, thus school is required to submit the fresh land certificate with name of the lessor and submit the compliance within 3 months on the SARAS portal.
4	There is no seating arrangement in the Maths lab, thus the school is required to make arrangement for seating and submit videographic proof within 3 months on the SARAS portal.

MANAGER
ST. XAVIER'S SCHOOL
PATHALGAON,JASHPUR(C.G.)

PRINCIPAL
ST. XAVIER'S ENG.MED. SCHOOL
PATHALGAON,DT.JASHPUR(C.G.)

5	The school has not covered the Chemistry lab in the inspection video. The school is required to submit videographic proof within 3 months on the SARAS portal. The Board has issued SoPs for all Lab which may be referred by the school.
6	The school shall ensure the training of its teachers with CoE Bhubaneswar within 3 months and submit the compliance.

Compliance of the above mentioned points shall be submitted within 03 months on the SARAS Portal. Failure to comply within the prescribed time shall invite financial penalty @ Rs. 50,000/- every month until compliance is submitted and shall debar the school from filling the registration and LOC of students class IX to class XII , as the case may be.

The approval of the Board as mentioned above, is subject to the following conditions:-

1. The school shall be responsible for its genuineness of the documents/ data/ information uploaded by the school. In case of any discrepancies, action will be initiated against the school as per Affiliation Bye -Laws-2018.
2. The school shall follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned.
3. The School shall apply online for extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws.
4. The school shall go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and subsequent amendment therein as well as circulars and guidelines /instructions issued by the Board time to time and keep a copy thereof for reference purpose and is also advised to regularly visit CBSE websites i.e., http://cbseacademic.nic.in/ & http://cbse.nic.in/ for updates.
5. The school shall renew mandatory certificates from time to time.
6. The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity /activity related to running of school affiliated to CBSE. All legal expenses incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances, shall be borne by the school.
7. Concerned Regional Office is requested to create new email id of school as per direction issued by controller of examination. This E Mail ID is used for communication with CBSE only.
8. The school shall not remove the documents and videography links in the mandatory disclosure section of its website.
9. The school shall follow the SOPs of the Board for its Laboratories, Library and sports facilities issued by the Board vide circular no 11 dated 04.10.2022.

DEPUTY SECRETARY/JOINT SECRETARY (AFF.)

MANAGER
ST. XAVIER'S SCHOOL
PATHALGAON,JASHPUR(C.G.)

PRINCIPAL
ST. XAVIER'S ENG.MED. SCHOOL
PATHALGAON,DT.JASHPUR(C.G.)

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक / 5017 / अशास. मान्यता / 2024 रायपुर, दिनांक 02/07/24

प्रति,

प्राचार्य
सेंट जेवियर्स अं.मा. उ.मा.वि. पत्थलगॉव
जिला–जशपुर (छ.ग.)

संस्था कोड
722078
माध्यम–अंग्रेजी

विषय :–मान्यता वृद्धि प्रमाण पत्र भेजने विषयक ।

—00—

उपरोक्त विषयक " मध्यप्रदेश जेसुस्ट क्रमांक 77 जिला–बिलासपुर द्वारा संचालित आपके स्कूल को छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर का संशोधन आदेश क्रमांक / एफ–2–39 / 2019 / 20–दो, नवा रायपुर, दिनांक 09.09.2022 के अनुसार मण्डल द्वारा आयोजित **हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा सत्र 01.07.2023 से 30.06.2024** हेतु सशर्त मान्यता वृद्धि प्रदान की जाती है। आपकी संस्था को मान्यता वृद्धि इस शर्त के साथ दी गई है, कि "मान्यता विनियम 1994" एवं मण्डल द्वारा जारी मान्यता वृद्धि हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति आपके द्वारा समयावधि में पूर्ण की जावेगी। मण्डल द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति आपके द्वारा की गई है अथवा नहीं, की जॉच मण्डल द्वारा गठित समिति द्वारा की जा सकती है।

मण्डल द्वारा निर्धारित मापदण्ड निर्देश क्रमांक / 14 / अशा.मान्यता / 2018 रायपुर, दिनांक 02.02.2018 मण्डल वेबसाइट में प्रदर्शित है। निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति के संबंध में आप निम्नानुसार जानकारी अनिवार्य रूप से तीन माह में मण्डल कार्यालय में जमा करायें। जॉच उपरान्त यह पाया जाता है कि आपके द्वारा निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति नहीं की गई है तो मण्डल द्वारा जारी मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रमुख का होगा। मण्डल द्वारा नियुक्त अधिकारियों / मण्डल की मान्यता समिति के सदस्यों के द्वारा सत्र के दौरान कभी भी आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण में भौतिक सत्यापन के दौरान मान्यता के लिये मापदण्ड की पूर्ति हेतु आपके द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार नहीं पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।

यहां, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि निम्न अंकित मापदण्डों की पूर्ति आपके द्वारा निर्धारित समय सीमा में नहीं की जाती है तो, यह सशर्त दी गई मान्यता स्वतः समाप्त मानी जा सकती है। संस्था में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को होने वाली असुविधा के लिये संस्था के प्राचार्य एवं प्रबंधक स्वयं पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

स.क्र. **निम्नांकित शर्तो की पूर्ति किया जाना है:–**

01. कार्या. पत्र क्र. / 6367 / अशास.मान्यता / 2022, रायपुर, दिनांक 03.10.2022 अनुसार संस्था में कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की शाला प्रारंभ करने की विभागीय अनुमति की प्रति संलग्न करेंगे।
02. भवन का किरायानामा / नक्शा बी–1 के साथ नवीनीकरण होने पर छाया प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
03. स्वयं का भवन होने पर संस्था / समिति के नाम पर भूमि / भवन आदि होने की जानकारी की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रस्तुत करेंगे।
04. हाईस्कूल के प्राचार्य, स्नात्कोत्तर, बी.एड, एवं 06 व्याख्याता स्नात्तकोत्तर की योग्यता रखते हों, की नियुक्ति तीन माह में करते हुए मण्डल को अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र सहित सूचित करेंगे। हायर सेकेण्डरी के लिये प्रत्येक संकाय में स्नात्तकोत्तर शिक्षकों की व्यस्था करेंगे। स्टाफ सूची वेतनमान सहित अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
05. अक्षय निधि शहरी क्षेत्र हेतु राशि 1,00,000 / – (अक्षरी एक लाख रूपये) एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु राशि 50,000 / – (अक्षरी पचास हजार रूपये) जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य के संयुक्त खाते में जमा रखना अनिवार्य है। संस्था के बचत खाते में शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू 50,000 / – राशि आवश्यक है, जिससे आकस्मिक स्थिति में शिक्षकों को कम से कम तीन माह का वेतन किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर भुगतान कर सके।
06. बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये खेल के मैदान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
07. मान्यता वृद्धि हेतु निर्धारित आवेदन पत्र एवं शुल्क हाईस्कूल हेतु रू 5000 / – (+100 / – आवेदन पत्र शुल्क) एवं हायर सेकेण्डरी हेतु रू 7000 / – (+100 / – आवेदन पत्र शुल्क) अनिवार्य रूप से समयावधि 31 दिसम्बर के पूर्व मण्डल में जमा करायें।
08. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल "मान्यता विनियम 1994"के सभी प्रावधानों का पूर्णरूपेण पालन संस्था द्वारा किया जाना तथा कार्या. पत्र क्र. / 14 / अशास.मान्यता / 2018, रायपुर, दिनाँक 02.02.2018 द्वारा मान्यता हेतु जारी निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य है।
09. विद्यालय के नाम पट पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त तथा मान्यता कोड स्पष्ट उल्लेख किया जाना है।
10. वर्तमान में कार्यरत विद्यालय प्रबंध समिति व समिति की प्रमाणित प्रति प्रेषित करेंगे।
11. विद्यालय में सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्र / सी.सी.टी.व्ही. कैमरा लगा है या नहीं, इसकी जानकारी प्रेषित करेंगे।
12. मान.उच्च न्यायालय के रिट याचिका प्रकरण क्रमांक 41 / 2016 में दिये गये निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुशंसाओं (बिन्दु क्रमांक 4.6.3) के अनुरूप सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों / कालेज / एन.सी.सी. / एन.एस.एस. यूनिट में लिगल लिटरेसी क्लब एवं लिगल एड क्लीनिक की स्थापना अनिवार्यतः की जानी है।
13. निम्नानुसार मान्यता एवं विलम्ब शुल्क अप्राप्त है:–

स.क्र.	परीक्षा सत्र	मान्यता शुल्क	विलम्ब शुल्क	योग

टीप:– मण्डल से पत्र व्यवहार करते समय संस्था को आबंटित संस्था कोड क्रमांक अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाय।

संलग्न:– मान्यता वृद्धि प्रमाण पत्र।

सहायक सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक / 5015 / अशास. मान्यता / 2024 रायपुर, दिनांक 02/07/24

प्रतिलिपि :–

01. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–जशपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ,

सहायक सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

MANAGER
ST. XAVIER'S SCHOOL
PATHALGAON,JASHPUR(C.G.)

PRINCIPAL
ST. XAVIER'S ENG.MED. SCHOOL
PATHALGAON,DT.JASHPUR(C.G.)

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

शाला कोड क्रमांक
722078

मान्यता वृद्धि | मान्यता प्रमाण-पत्र

हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा

(01-07-2023...... से 30-06-2024......) सशर्त

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, अधिनियम 1965 क्रमांक 23, सन् 1965 की धारा 8 (च) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिनियम के विनियमों के अधीन, एतद् द्वारा ...... अशास. सेंट जेवियर्स अं. मा. उ.मा.वि. ...... पत्थलगॉव ...... जिला ...... जशपुर ...... (छ.ग.) को नीचे लिखे तालिका में वर्णित विषयों में निम्नानुसार शर्तो पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

1. शाला द्वारा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा अधिकृत निरीक्षण अधिकारी या दल को शाला के निरीक्षण हेतु सम्पूर्ण रुप से सहयोग प्रदान किया जायेगा।
2. शाला, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, अधिनियम 1965 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम, उपनियम आदि के सम्पूर्ण पालन के लिये बाध्य होगा। साथ ही, समय-समय पर इस संबंध में मण्डल एवं शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों आदि का पालन करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व शाला का होगा।
3. शाला में अध्यनरत सभी छात्र / छात्राओं की व्यक्तिगत सुरक्षा (शाला प्रांगण में) की जिम्मेदारी शाला की होगी।
4. शाला द्वारा कोई अनैतिक / असंवैधानिक क्रियाकलापों में भागीदारी नहीं की जावेगी तथा असामाजिक एवं हिंसात्मक तत्वों को संरक्षण नहीं दिया जायेगा।
5. समय-समय पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा मांगी गई जानकारी, निर्धारित सामयिक सूचनायें यथा समय शाला द्वारा प्रस्तुत की जावेगी।
6. शाला को जिस भवन में, जिन शिक्षकों की नियुक्ति के आधार पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की मान्यता दी गई है, उस भवन, आधारभूत संरचना एवं शैक्षणिक स्टॉफ को प्रदर्शित करते हुये किसी अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय की मान्यता के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा। अगर ऐसा पाया जाता है तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा दी गई मान्यता समाप्त की जा सकेगी।
7. शाला अपने विद्यार्थियों के लिए शैक्षणेत्तर गतिविधियों तथा खेलकूद / स्वास्थ्य, अन्य प्रतियोगिताओं के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध करायेगी।
8. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर शाला को दी गई मान्यता किसी समय समाप्त की जा सकेगी।
9. प्राचार्य इस प्रमाण-पत्र को अपने कक्ष में स्पष्ट रुप से प्रदर्शित करेंगे।

टीप :- मान्यता के संबंध में उद्भूत किसी भी विवाद के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में स्थित माननीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन ही की जावेगी।

परीक्षा	विषय	माध्यम
हाईस्कूल	1. भाषा - हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत 2. अनिवार्य विषय - गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान 3. व्यावसायिक विषय (वैकल्पिक)	हिन्दी / अंग्रेजी
हायर सेकण्डरी	1. विशिष्ट भाषा 2. सामान्य भाषा 3. ग्रुप - बी (1) विज्ञान संकाय (2) (3) (4) (5) (6)	हिन्दी / अंग्रेजी

जारी तिथि 02/07/24

सहायक सचिव मान्यता 03/06/24
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

MANAGER
ST. XAVIER'S SCHOOL
PATHALGAON,JASHPUR(C.G.)

PRINCIPAL
ST. XAVIER'S ENG.MED. SCHOOL
PATHALGAON,DT.JASHPUR(C.G.)